न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 58/2020, 80/2023 पुराने, 37/2023 विविध नये
पीठासीन अधिकारी:–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 22.04.2024

गोपाल पुत्र नानगा जाति गुर्जर निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर नवसर्जित हाल जिला दूदू राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर नवसर्जित हाल जिला दूदू राज0।
2. लक्ष्मण पुत्र काना जाति गुर्जर निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर नवसर्जित हाल जिला दूदू राज0।
3. रामनारायण पुत्र काना जाति गुर्जर निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर नवसर्जित हाल जिला दूदू राज0।
4. गणेश पुत्र काना जाति गुर्जर निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर नवसर्जित हाल जिला दूदू राज0।

अप्रार्थीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री विनोद कुमार जैन वादी/अप्रार्थी
श्री राजेन्द्र सिंह खंगारोत प्रार्थी/प्रतिवादी सं0 2 लगा0 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 सी0पी0सी
निर्णय

दिनांक:–22.04.2024

अप्रार्थी सं0 3 की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत कर रखा है। जिसमें वर्णित आराजी खसरा नम्बर 4845/3 जिसके हाल खसरा नम्बर 8609/6329 रकबा 2.0200 हैक्टेयर का विवाद विचाराधीन है। माननीय न्यायालय द्वारा विभाजन की डिक्री खसरा नम्बर 6329 रकबा 6.6200 हैक्टेयर वाद संख्या 605/1995 उनवानी नानगा बनाम काना अंतिम निर्णय दिनांक 03.09.2002 दर्ज होकर खाता अलहदा कायम कर दिये गये है खसरा नम्बर 6329 की तरमीम वरवक्त खाता अलहदा किया उस समय नही करने पर अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र उनवानी काना बनाम तहसीलदार अन्तर्गत धारा 111, 131 एल आर एक्ट में पेश कर माननीय न्यायालय से विवादित आराजीयात बाबत अंतिम निर्णय दिनांक 14.07.2015 को पारित किया गया है जो प्रार्थी पर भी बाध्यकारी है क्योंकि प्रार्थी तकासमा के वाद में पक्षकार रहा है एवं काना बनाम तहसीलदार में भी निर्णय पारित कर दिये जाने से अब माननीय न्यायालय द्वारा कानूनन निर्णय पारित नही किया जा सकता है। उपरोक्त प्रकरण के तहत पर भी धारा 11 सी0पी0सी0 के तहत गोपाल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी गोपाल की तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पूर्व में पारित निर्णयों में धारा 11 सी0पी0सी0 (प्राग न्याय) के सिद्धान्त के आधार पर खारिज फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला–दूदू

लगातार.....2

प्रार्थी/अप्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र का जबाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब के तथ्यो मे बताया की वाद सं0 305/95 उनवानी नानगा बनाम कोना मे अन्तिम निर्णय दिनांक 03.09.2002 पारित किया गया जिसकी पालना मे नामान्तकरण सं0 2849 दर्ज किया गया। जिसके हाल ख0न0 6329, 6327 को जरिये विभाजन नवीन ख0न0 8608/6329, 8609/6329, 8610/6329, 8611/6329, 6329, 6327 व 8612/6327 दर्ज किये गये। जिनकी तरमीम आदेशानुसार कर दी गई जो उक्त प्रकरण मे प्रतिवादी सं0 1 के जबाब के साथ संलग्न नक्शा पार्ट ए के अनुसार तरमीम की गई। जो मुताबिक प्रकरण सं0 305/95 मे पारित निर्णय दिनांक 03.09.2002 की पालना मे कि गई। उक्त तरमीम के पश्चात गलत तथ्यो के आधार पर प्रार्थी रामनारायण पुत्र काना के द्वारा प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती का बिना प्रार्थी को पक्षकार कायम किये पेश कर निर्णय कि पालना मे जो तरमीम कि गई उसे बिना अधिकार के दुरूस्त कर मौके के विपरित की जाकर प्रार्थी को अपने लाभ के लिये अप्रार्थी को उसके मौके पर बने मकानो से बेदखल कर वंचित करने हेतु गलत तरमीम करवायी। उक्त तरमीम की जानकारी होते ही अप्रार्थी कि और से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमे धारा 11 के प्रावधान लागू नही होते है। पूर्व मे जो निर्णय मु0न0 305रु95 दिनांक 03.09.2002 को पारित किया गया उसकी पालना मे मौके पर तरमीम कि जा चुकी है जो मौके के अनुसार कि गई है। उक्त तरमीम के पश्चात प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र उनवानी काना बनाम तहसीलदार का पेश कर दिनांक 14.07.2015 को तरमीम चेन्ज करवाई गई। उक्त प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थी गोपाल पक्षकार नही था इस प्रस्तुत प्रकरण मे पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 03.09.2002 कि पालना मे तरमीम दुरूस्त कर चेन्ज कर दी गई जिसमे पक्षकार नही था। इस आधार पर धारा 11 जा0दी0 के प्रावधान लागू नही होते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 11 जा0दी0 खारिज फरमाया जावे।

बहस विद्वान उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी/अप्रार्थी सं0 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये बताया की उक्त प्रकरण मान्य न्यायालय मे धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय द्वारा पूर्व मे जारी आदेश की दुस्स्ती बाबत पेश किया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थन पत्र मे ख0न0 6327 जिसका साबिक ख0न0 4844 गैर मु0 तलाई को दुरूस्त करवाना चाहता है। जो कि उक्त ख0न0 नामान्तकरण सं0 2849 के नामान्तकरण स्वीकार किये जाने के पश्चात बदल दिया गया। मान्य न्यायालय द्वारा धारा 136 के तहत मान्य न्यायालय द्वारा पूर्व मे की गई निर्णय व डिकी की दुरूस्ती नही की जा सकती है। पूर्व मे जारी निर्णय व डिकी के विरूद्व प्रार्थी को अपीलीय न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अपीलीय न्यायालय मे कोई अनजान व्यक्ति भी धारा 95 के तहत अपील प्रस्तुत कर सकता है।

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

जब निर्णय के आदेशानुसार नक्शे कुरेजात अनुसार जब राजस्व विभाग द्वारा तरमीम नही की तब वर्ष 2016 मे तहसीलदार के विरूद्व वाद दायर कर पूर्व निर्णय की पालना करवायी जा चुकी है। दिनांक 03.09.2002 को पारित निर्णय मे समान पक्षकार है।

उक्त विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध मे पूर्व मे निर्णय व डिक्री पारित किया जा चुका है इसलिये उक्त प्रकरण मे पुनः निर्णय पारित नही किया जा सकता है। अप्रार्थी/प्रार्थी ने अपने जबाब के बिन्दु सं0 2 मे मकान नही बनना बताया है। पूर्व मे प्रस्तुत तकासमे के वाद मे अगर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुरेजात गलत बन गये है तो उसके विरूद्व अपील करनी चाहिए थी।

अप्रार्थी/प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने जबाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुये बताया की प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस व प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है पूर्व मे प्रस्तुत वाद मे राजीनामा के पश्चात तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा नक्शा – कुरेजात प्रस्तुत किये गये थे। प्रार्थी द्वारा वर्ष 2020 मे बाला – बाला ही तरमीम प्रार्थना पत्र पेश करके तरमीम को दुरूस्त किया गया। प्रार्थी द्वारा पूर्व मे कराई गई तरमीम दुरूस्ती से पिडित होकर प्रार्थी द्वारा उक्त तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र 136 के तहत प्रस्तुत किया गया। वर्तमान मे जो पक्षकार मौके पर जहॉ काबिज काश्त है उसके अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जावे। तहसीलदार मौजमाबाद ने अपने जबाब मे बताया है कि मौजमाबाद के आराजी ख0न0 6329 व 6327 जिसके साबिक ख0न0 कमश 4845 व 4844 है का विभाजन माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के प्रकरण सं0 305/95 मे निर्णय दिनांक 03.09.2002 की पालना मे नामान्तकरण सं0 2849 दर्ज कर दिया गया। उक्त हाल ख0न0 6329, 6327 से जरिये विभाजन नवीन ख0न0 8608/6329, 8609/6329, 8610/6329, 8611/6329, 6329, 6327, 8612/6327 दर्ज किये गये जिसे सलंग्न नक्शे मे पार्ट "ए" से दर्शाया गया है। जो मुताबिक उक्त प्रकरण सं0 305/95 निर्णय दिनाक 03.09.2002 के अनुसार नही होने से खातेदार रामनारायण पुत्र कानाराम जाति गुर्जर नि0 मौजमाबाद द्वारा एक आवेदन उक्त तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु माननीय उपखण्ड अधिकारी दूदू को पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर श्रीमान उपखण्ड अधिकारी दूदू के आदेश कमांक राजस्व/2020/600 दिनांक 12.02.2020 की पालना मे पूर्वोक्ता प्रकरण सं0 305/95 मे निर्णय दिनांक 03.09.2002 के अनुसार तरमीम दुरूस्त की गई जिसे संलग्न नक्शे मे पार्ट बी" से दर्शाया गया है। ख0न0 8611/6329 को चेन्ज करके प्रार्थी के मकानो की जगह दे दी गई है। जो तहसीलदार मौजमाबाद की रिपोर्ट से पूर्णतया स्पष्ट है। पूर्व मे प्रस्तुत दावे के निस्तारण एवं राजीनामा होने के कारण प्रार्थी द्वारा अपील मे नही गये है। तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा दिनांक 29.02.2020 को मौके पर जॉच करने पर पाया गया है कि आंशिक भाग पर वादी गोपाल का मकान

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

बन कर कब्जा माना गया है। मान्य न्यायालय मे प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 सी0पी0सी मे एक बार वाद डिक्री होने पर ही धारा 11 सी0पी0सी0 लागु होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 11 सी0पी0सी0 मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाने का निवेदन किया।

प्रार्थी/अप्रार्थी सं0 3 के अधिवक्ता ने अपनी पुर्नात्तर मे बताया कि अप्रार्थी/वादी द्वारा अपनी बहस मे स्वीकार किया है कि पूर्व मे प्रस्तुत तकासमे का दावा डिक्री हुआ है। तहसीलदार मौजमाबार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पूर्व मे पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट 2019 तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा पूर्व वाद मे प्रस्तुत नक्शे – कुरेजात के अनुसार तरमीम चाही गई थी। वर्तमान जमाबन्दी (राजस्व रिकार्ड) मे किसी प्रकार की कोई त्रुंटि नही है। दिनांक 17.06.2020 को तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रस्तुत रिपेार्ट अनुसार तरमीम नक्शे कुरेजात अनुसार नही करके अन्य जगह की गयी है। इसलिये प्रार्थी/अप्रार्थी सं0 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया ख0न0 4840, 4843, 4844, 4845, 5124/1, 5126 के बाबत एक तकासमे का वाद माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू मे मु0न0 305/95 दर्ज होकर दिनांक 03.09.2002 को निर्णित हो चुका है। उक्त वाद मे पक्षकार जो इस प्रार्थना पत्र मे वादी [illegible] के पिता एवं प्रतिवादी के पिता काना थे। इस वाद के पक्षकार उक्त पूर्व वाद के मूल पक्षकारो के सगें/सम्बन्धी है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा दिनांक 03.09.2002 को बंटवारे का दावा निर्णित कर दिया था जो कि समस्त पक्षकरों पर बाद अधिकारी था। उक्त निर्णय की आशिंक पालना (निर्णय अनुसार खसरा नम्बरो के नक्शे मे तरमीम नही हुई) एक वाद काना बनाम तहसीलदार बाबत् तरमीम दुरूस्ती दिनांक 2015 मे माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू मे प्रस्तुत किया गया। उक्त निर्णय के आदेशानुसार पूर्व मे निर्णित (03.09.2002) निर्णय अनुसार तरमीम की गयी।

अतः उक्त विवेचन अनुसार समान पक्षकारानो के मध्य दिनांक 03.09.2002 को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा निर्णित बंटवारे के वाद का पूर्व निस्तारण किया जा चुका था। तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि डी0आई0एल0आर0एम0पी0 जो कि एक राजस्व प्रक्रिया है के द्वारा पूर्व मे निर्णय दिनांक 03.09.2002 एवं 2015 के निर्णय अनुसार की गयी तरमीम को गलत कर दिया था। जो 2020 मे राजस्व विभाग ने दुरूस्त कर दिया था। दिनांक 13.10.2020 को पक्षकार गोपाल द्वारा तरमीम दुरूस्ती बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसमे ख0न0 6327, 8611/6329 समान है एवम उक्त खसरा नम्बर बाबत् पूर्व मे दिनांक 03.09.2002 को निर्णय हो चुका है। अगर प्रार्थी गोपाल उक्त निर्णय से सन्तुष्ट

लगातार.................5

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

नही होता है तो अपील ही एक मात्र उपचार है।

धारा 11 सी0पी0सी के पूर्व न्याय के सिद्वान्त अनुरूप यह स्पष्ट है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाधक का विचारण नही करेगा जिसमे उन्ही पक्षकारो के बीच के या ऐसे पक्षकारो से बीच के जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमे से कोई दावा करते है। ऐसे न्यायालय (पृथक वाद से) द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चय किया जा चूका है। पूर्व न्याय का मूल सूत्र यही है कि "किसी भी व्यक्ति को एक हेतुक के लिऐ दो बार तंग नही किया जाना चाहिए।"

चुकि उक्त ख0न0 6327, 8611/6329 के बारे मे दिनांक 03.09.2002 को माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा अन्तिम विनिश्चय कर दिया गया था। उक्त विनिश्चय/निर्णय की अधूरी पालना को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू द्वारा 2015 मे निर्णय द्वारा पूर्ण करवा दी गई थी।

अतः उन समान खसरा नम्बरान की बार – बार तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र लाना न्यायोचित नही है एवं धारा 11 सी0पी0सी0 के पूर्व न्याय के सिद्वान्तो को आमत्रंण देना जैसा है।

अतः हम प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा 11 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते [redacted] आदेश दिया जाता है धारा 11 सी0पी0सी0 के पूर्व न्याय के सिद्वान्त लागु होने से गोपाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.10.2020 अन्तर्गत धारा 111, 131 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

22/4/24

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला- दूदू